


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

आई सी आई सी आई बैंक बनाम देवीनारायण

प्रकरण संख्या 245/20210 ( धारा 14 सिव्योरिटार्डिजेशन एक्ट )

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
04.08.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित हैं। उभय पक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया ।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता ने धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है किन्तु अप्रार्थी अधिवक्ता ने बन्धक सम्पत्ति पर एन सी एल टी के आदेश दिनांक 25.11.2020 से स्थगन होना बताया है।</p> <p>अतः धारा 14 सिव्योरिटार्डिजेशन एक्ट-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी वित्तीय संस्था को लौटाया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्थान स्थगन समाप्ति बाद पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p>	

  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर